पत्र सं०-एम-4-02/2012 ......12030..../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव हंस,

सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी कोषागार पदाधिकारी।

प्राप्ति सं० 4824

तिथि 2/12/13

पटना-15, दिनांक 02/12/12

विषयः- राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को इंडियन बैंक के माध्यम से गृह निर्माण, भूमि क्रय के साथ बने बनाये मकान, अतिरिक्त निर्माण रख-रखाव एवं चार पहिया वाहन क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण ऋण की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं०-420 दिनांक 21.01.2000 तथा संकल्प सं०-809 दिनांक 22.05.2006 एवं वाहन ऋण की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं0-290 दिनांक 22.01.2002 तथा संकल्प सं0 626 दिनांक 30.06.2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष अपने बजट में राशि का उपबंध करती है। वर्तमान में गृह निर्माण ऋण की अधिसीमा ₹7.50 लाख रूपये है। इसके कारण सभी कर्मियों को गृह निर्माण ऋण/वाहन ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है।

2. चालू व्यवस्था के तहत अत्यंत सीमित सरकारी कर्मियों को वित्त विभाग के द्वारा केन्द्रीयकृत तरीके से ऋण दिया जाता है। नई योजना लागू हो जाने से सारे राज्यकर्मियों को अपने जिला के मुख्यालय से राष्ट्रीयकृत बैंक यथा, इंडियन बैंक के माध्यम से गृह निर्माण एवं वाहन क्रय हेतु ऋण की सुविधा बाजार से कम दर पर मिल सकेगी।

3. छठे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त सुझाव के आलोक में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग से प्राप्त अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार के सेवी वर्ग को बैंको के माध्यम से गृह निर्माण ऋण/मकान क्रय ऋण उपलब्ध कराने हेतु इंडियन बैंक से समझौता किया गया है। जिसके मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैः

(i) बैंक के द्वारा जिस न्यूनतम दर पर किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को ऋण दिया जा सकेगा वह बैंक का base rate है जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाता है। राज्य सरकार के सेवाकर्मी को गृह निर्माण हेतु ₹30.00 लाख एवं वाहन क्रय हेतु ₹15.00 लाख तक ऋण का भुगतान base rate पर किया जाएगा। यदि base rate में परिवर्तन होगा तो तदनुसार interest rate भी घट-बढ़ सकता है। इस प्रकार यह floating interest at base rate होगा।

(ii) प्रत्येक ऐसा कर्मी जो ऋण लेगा अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से जिला के मुख्यालय में अवस्थित संबंधित बैंक में आवेदन देगा और उसे उसकी भुगतान क्षमता एवं बची हुई सेवा के आधार पर बैंक 15 दिनों में ऋण देगा।

(iii) राज्य सरकार की भूमिका मात्र एक guarantor की होगी जिसमें सेवा कर्मी का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बैंक की इस शर्त को सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक माह के

Pramod/sec-4/3